भारत सरकार/ **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय/ **MINISTRY OF FINANCE**
आयकर विभाग/ **INCOME TAX DEPARTMENT**
विहित आयकर प्राधिकारी का कार्यालय / **Office of the Prescribed Income-Tax Authority**

MODI PROPERTIES PVT. LTD. * SEC'BAD * INWARD No. 372 Date 27/9/19 Sign.

सेवा में/ To, JA232072375IN VISTA HOMES 5-4-187/3 AND 4, 2ND FLOOR, SOHAM MANSION ,M.G ROAD SECUNDERABAD 500003 ,Telangana India	

स्थायी लेखा संख्या/ PAN:	निर्धारण वर्ष/ AY:	नोटिस संख्या / Notice No.:	दिनांक/ Dated:
AAGFV2068P	**2018-19**	**ITBA/AST/S/143(2)/2019-20/1018185620(1)**	**22/09/2019**

आयकर नियम **1962** के नियम **12** ड़ के साथ पठित आयकर अधिनियम **1961** की धारा **143 (2)** के अधीन नोटिस

Notice under section 143(2) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 12 E of Income Tax Rules, 1962

संवीक्षा (जांच) (कंप्यूटर आधारित संवीक्षा चयन)
Scrutiny (Computer Aided Scrutiny Selection)

प्रिय करदाता,
Dear Taxpayer,

आपके द्वारा निर्धारण वर्ष **2018-19** के लिए दिनांक. **04/10/2018** को पावती सं. **321763061041018** के तहत आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए आपको धन्यवाद ।
Thank you for filing your return of income for Assessment Year **2018-19** vide Ack. no. **321763061041018** on **04/10/2018**.

2. विवरणिका को तैयार करने में आपके ध्यान एवं परिश्रम को स्वीकार करते हुए, कुछ मुद्दो पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, जिनके कारण आपकी आय विवरणिका को संवीक्षा (जांच) के लिए चुना गया है, ये मुद्दे प्रारंभ में निम्नानुसार है:
2. While acknowledging the care and diligence you may have taken in preparing the return, there are certain issues which need further clarification, for which your return of Income has been selected for scrutiny and such issues initially are as under:

S. No.	Issues
i.	Income from Real Estate Business

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए उल्लेखित मुद्दो के उत्तर आप संबंधित दस्तावेजो (यदि कोई हो) सहित निर्धारण अधिकारी को 'ई-कार्यवाही' सुविधा में अपने ई-फाइलिंग वेबसाइट खाते के जरिए (www.incometaxindiaefiling.gov.in) अपनी सुविधानुसार, दिनांक 07/10/2019 तक या उससे पहले इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रस्तुत कर दें।
3. In view of the above, you may submit your response with supporting documents (if any) on the above mentioned issues to the Assessing Officer electronically in 'e-Proceedings' facility through your

1. The Notice/Letter/Order No. mentioned above may be treated as DIN for the purpose of procedure for issuance of Income Tax Notice prescribed by Circular No.19/2019 dt. 14 August 2019.
2. This notice u/s 143(2) is issued by the Prescribed Income-tax Authority u/s 143(2) of the IT Act, 1961 notified by the CBDT vide notification No. 65/2019 dated 13 September 2019. This office does not have a physical address.

account in e-Filing website (www.incometaxindiaefiling.gov.in) at your convenience on or before 07/10/2019.

4. निर्धारण प्रक्रिया के दौरान यदि आवश्यक हुआ तो सूचना/कागजात के लिए विस्तृत प्रश्नावली या मांग पत्र बाद में जारी किया जाएगा।
4. In course of assessment proceedings, if required, specific questionnaire(s) or requisition(s) for information/document may be issued subsequently.

5. आप के संदर्भ के लिए 'ई-कार्यवाही' पर एक संक्षिप्त नोट संलग्न है।यदि आपको अपना उत्तर दर्ज करने में किसी भी सहायता की आवश्यकता है तो आप टोल फ्री कॉल सैंटर नं 1800 103 4215 पर संपर्क कर सकते है।
5. A brief note on 'e-Proceeding' is enclosed for your kind reference. In case you require any assistance in filing your response, you may contact toll free Call Centre number 1800 103 4215.

संलग्न: यथोपरि
Enclosure : as above

भवदीय/ Yours faithfully,

सहायक आयकर आयुक्त (ई-सत्यापन)

Assistant Commissioner of Income-tax (e-Verification)

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(2) के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी

Prescribed Income-tax Authority u/s 143(2) of the Income Tax Act, 1961

INCOME TAX DEPARTMENT

Signature Not Verified
Digitally signed by Pritpal Singh
Date: 2019.09.22 12:16:25 IST

'ई-कार्यवाही' पर टिप्पणी

Note on 'e-Proceeding'

1. ई- गवर्नेंस पहल के एक हिस्से के रूप में, इलैक्ट्रानिक माध्यम सें निर्धारण प्रक्रिया के संचालन के लिए आयकर विभाग ने 'ई-कार्यवाही' की सुविधा विकसित की है। यह निर्धारण प्रक्रिया के संचालन के लिए आयकर कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता के बिना, इलैक्ट्रानिक माध्यम से, विभाग एवं निर्धारिती के बीच संचार का परेशानी से मुक्त एक सरल तरीका है यह सुविधा वातावरण अनुकूल है क्योंकि निर्धारण प्रक्रिया कागजरहित हो गई है।

1. As a part of e-Governance initiative, to facilitate conduct of assessment proceedings electronically, Income-tax Department has developed the 'e-Proceeding' facility. It is a simple way of communication between the Department and assessee in a hassle free manner, through electronic means, without the necessity to visit Income-tax Office for conduct of assessment proceedings. This new facility is also environment friendly as assessment proceedings have now become paperless.

2. 'ई-कार्यवाही' कार्यशीलता के माध्यम से निर्धारण प्रक्रियाओं में निर्धारिती के ई-फाइलिंग खाते मे, निर्धारण अधिकारी से पत्र, नोटिस, प्रश्नावली व आदेश आदि का सहज प्रवाह होता है। विभागीय संचार प्राप्ति के उपरान्त निर्धारिती अपना उत्तर संलग्नक सहित (यदि कोई हो) को ई- फाईलिंग पोर्टल पर अपलोड करके प्रस्तुत करने में सक्षम है। निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत उत्तर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी ईलैक्ट्रानिक माध्यम से देखा जाता है। इस प्रकार करदाता के अमूल्य समय को बचाने के अलावा, 'ई-कार्यवाही', निर्धारण प्रक्रिया के दौरान 24X7 कभी भी / कहीं भी विभागीय प्रश्नों का उत्तर देने की आसान सुविधा भी प्रदान करता है।

2. In assessment proceedings through the 'e-Proceeding' functionality, there is a seamless flow of letters, notices, questionnaires, orders etc. from Assessing Officer to assessees' e-Filing account. On receipt of Departmental communication, assessee is able to submit his response along with attachments, if any, by uploading the same on the e-Filing portal.The response submitted by the assessee is also viewed by the Assessing Officer electronically. Thus, besides saving precious time of the taxpayer, 'e-Proceeding' also provides a 24X7 anytime/anywhere convenient facility to submit response to the Departmental queries in course of assessment proceedings.

3. 'ई-कार्यवाही' सुविधा के माध्यम से की जा रही कार्यवाही में निर्धारिती अपने ई-फाईलिंग खाते में निर्धारण की कार्यवाही के दौरान दाखिल समस्त ई- सबमिशन की पूरी जानकारी रखता है जो संदर्भ व रिकार्ड उद्देश्यों के लिए उपयोगी होता है।

3. In proceedings being carried out through the 'e-Proceeding' facility, assessee retains complete information of all e-Submissions made during the course of assessment proceedings in his e-Filing account which is very useful for reference & record purposes.

4. 'ई-कार्यवाही' के अंतर्गत मामालों में निम्नलिखित स्थिती में सुनवाई को प्रत्यक्ष रूप से आयोजित किया जा सकता है।

I. जहां बही- खाता की जांच की जानी है; या

II. जहां आयकर अधिनियम 1961 की धारा 131 का प्रावधानों का आह्वान किया गया है; या

III. जहां निर्धारिती या निर्धारण अधिकारी द्वारा गवाह का परीक्षण किया जाना है; या

IV. जहां किसी भी प्रतिकूल दृष्टिकोण पर विचार करने केलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है तथा मामले को समझाने हेतु निर्धारिती व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध करता है।

4. In cases under 'e-Proceeding', hearing may be conducted manually in following situation(s):

I. where books of accounts have to be examined; or

II. where provision of section 131 of Income-tax Act, 1961 has been invoked; or

III. where examination of witness is to be made by assessee or Assessing Officer; or

IV. where a show-cause notice contemplating any adverse view is issued and assessee requests for personal hearing to explain the matter.

5. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(2) के अधीन नोटिस, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(2) के अधीन विहित आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिसूचना 65/2019 दिनांक 13/09/2019 द्वारा अधिसूचित किया गया है। जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया है, नोटिस का उत्तर निर्धारिती द्वारा 'ई-कार्यवाही' के माध्यम से निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है।

5. The notice u/s 143(2) is issued by the Prescribed Income-tax authority u/s 143(2) of the IT Act, 1961 notified by the CBDT vide notification No. 65/2019 dated 13/09/2019.The response to the notice is to be submitted to the Assessing Officer, by the assessee through 'e-Proceedings' facility, as mentioned above.

6. इस करदाता अनुकूल उपाय ने निर्धारिती के अनुपालन बोझ को बहुत सीमा तक कम कर दिया है। जिन निर्धारितीयों के पास अभी तक कोई ई-फाईलिंग खाता नहीं है उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे ई-फाईलिंग खाता रखने के लिए (www.incometaxindiaefiling.gov.in) में दिए गए सरल निर्देशों का पालन करते हुए स्वयं को पंजीकृत करें।

6. This taxpayer friendly measure has substantially reduced the compliance burden for assessees. The assessees who do not yet have an e-Filing account, are requested to get themselves registered by following the simple instructions contained in (www.incometaxindiaefiling.gov.in) for having an e-Filing account.

INCOME TAX DEPARTMENT